रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT. OF INDIA

सं. 167] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 1996/फाल्गुन 25, 1917
No. 167] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 1996/PHALGUNA 25, 1917

रेल दुर्घटनाओं तथा निवारक उपायों पर जांच हेतु न्यायमूर्ति वेंकटचला आयोग

(जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1996

का.आ. 196(अ).—जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 5 जनवरी, 1996 अंक के भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4-1-1996 की अधिसूचना सं. 95/ई(ओ) 11/1/1 द्वारा 1-6-1995 को हुई रेल दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए उपर्युक्त जांच आयोग को नियुक्त किया है जिसमें पूर्व रेल के आसनसोल मंडल में कालूबथान स्टेशन के लूप लाइन पर खड़ी हुई बी.के.एस.सी. मालगाड़ी के पिछले भाग में गाड़ी नं. 3151 सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रेस के टकरा जाने तथा दक्षिण पूर्व रेल के संबलपुर मंडल में बरपाली और डूंगरीपाली स्टेशनों के बीच ब्लॉक खंड में गाड़ी नं. 8448 हीराखंड एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की घटना हुई थी। इस आयोग के समक्ष निम्नलिखित विचारार्थ विषय हैं :—

1. उपर्युक्त दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करना तथा इस प्रयोजन हेतु ऐसे साक्ष्य प्राप्त करना जो आवश्यक हों,

2. उपर्युक्त दुर्घटनाओं के कारणों के संबंध में तथा उनके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों, यदि कोई हो, से अलग-अलग जानकारी प्राप्त करना, तथा

3. भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से सुरक्षा के संबंध में सुझाव देना।

उक्त विचारार्थ विषय के संबंध में जांच आयोग को समुचित अधिकार दिए गये है कि वे संबंधित व्यक्तियों तथा जांच में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से पर्याप्त रूप से अवसर प्रदान करते हुए निम्नानुसार तीन चरणों में इस पर जांच करें :—

जांच का पहला चरण

पूर्व रेल के आसनसोल मंडल में कालूबथान स्टेशन के लूप लाइन पर खड़ी बी.के.एस.सी. माल गाड़ी के पिछले

भाग से गाड़ी नं. 3151 सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रेस को टक्कर की रेल दुर्घटना के कारणों तथा इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति/व्यक्तियों की जांच हेतु उपर्युक्त आयोग द्वारा की जाने वाली जांच एक सार्वजनिक जांच होगी तथा यह केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से 1 बजे अपराह्न तथा 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न के बीच मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कांप्लेक्स के रेलवे क्लब, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में होगी जो सोमवार 8 अप्रैल 1996 से प्रारंभ होकर इसके पूरा होने तक चलेगी।

रेल स्टाफ के उन सभी सदस्यों जो कालूबथान स्टेशन से गाड़ी नं. 3151 सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रेस के सुरक्षित चालन के लिए जिम्मेवार थे, को ये नोटिस दिए गये थे कि वे 1-6-95 को कालूबथान स्टेशन पर 16.22 बजे (4.22 अपराह्न) लूप लाइन पर खड़ी बी.के.एस.सी. माल गाड़ी के साथ सियालदाह-जम्मूतवी एक्सप्रेस गाड़ी की टक्कर के समय उनके द्वारा दी गयी ड्यूटी का प्रमाण देने अथवा उस दुर्घटना के लिए उनमें से किसी को जिम्मेवार ठहराने के लिए जांच के दौरान प्रस्तुत किए गये किसी भी प्रमाण का विरोध करने के लिए उक्त सार्वजनिक जांच में उपस्थित रहें।

रेल स्टाफ का कोई अन्य सदस्य अथवा कोई यात्री अथवा जनता का कोई सदस्य जो उक्त दुर्घटना के किसी पहलू अथवा दुर्घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के बारे में प्रमाण दे सकें, से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त रेल दुर्घटना के संबंध में की जाने वाली सार्वजनिक जांच की अधिसूचना प्राप्त करें तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त जांच में अपने प्रमाण प्रस्तुत करें।

## दूसरे चरण पर जांच

दक्षिण पूर्व रेलवे के संबलपुर मंडल में बरपाली और डूंगरीपाली स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड में गाड़ी नं. 8448 के पटरी से उतर जाने की रेल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच के लिए जांच आयोग द्वारा की जाने वाली जांच सार्वजनिक जांच होगी तथा यह सोमवार 22 अप्रैल, 1996 से केन्द्र सरकार के हर कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तथा 2 बजे से शाम 5 बजे तक कांफ्रेंस हाल, मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, संबलपुर, उड़ीसा में इसके पूरा हो जाने तक जारी रहेगी।

रेल स्टाफ के उन सभी सदस्यों जो बरपाली और डूंगरीपाली स्टेशनों के बीच ब्लॉक खंड में रेलपथ के अनुरक्षण तथा बरपाली और डूंगरीपाली के बीच ब्लाक खंड में चलाए जाने के लिए 8448 हीराखंड एक्सप्रेस के अनुरक्षण तथा सुरक्षित चालन हासन के लिए जिम्मेदार थे, को नोटिस दिए गये थे, कि वे 1-6-95 को 15.30 बजे (3.30 बजे अपराह्न) दक्षिण पूर्व रेल के संबलपुर मंडल में बरपाली और डूंगरीपाली स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड में गाड़ी नं. 8448 हीराखंड एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के समय उनके द्वारा निष्पादित ड्यूटी का प्रमाण देने अथवा उस दुर्घटना के लिए उनमें से किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रमाण का विरोध करने के लिए उक्त जांच में उपस्थित रहें।

रेल स्टाफ का कोई अन्य सदस्य अथवा कोई यात्री अथवा जनता का कोई सदस्य जो उक्त दुर्घटना के किसी पहलू अथवा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के बारे में प्रमाण दे सके से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त रेल दुर्घटना के संबंध में की जाने वाली सार्वजनिक जांच की अधिसूचना प्राप्त करें तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी जांच में अपने प्रमाण प्रस्तुत करें।

## जांच का तीसरा चरण

उपर्युक्त विचारार्थ विषय के अनुसार जांच आयोग से यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए सुरक्षात्मक उपाय अर्थात् यात्री गाड़ियों की आपस में टक्कर होने और पटरी से उतरने की भावी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय सुझाने की अपेक्षा की जाती है।

यह परिकल्पना की जाती है कि यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाए गए सुरक्षात्मक उपाय यात्रियों की जान और होने वाली सार्वजनिक संपत्ति को ध्यान में रखते हुए व्यापक सार्वजनिक महत्व के और सार्थक सिद्ध होंगे। लेकिन हालांकि ऐसी भावी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आयोग द्वारा सुझाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों का उद्देश्य रेल यात्रियों, कर्मचारियों और सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा सुनिश्चित करना है तथापि वे इस किस्म अथवा प्रवृत्ति के होने चाहिए कि यदि रेल प्रशासन द्वारा उनको लागू किया जाता है तो यह आशा की जाती है कि वे यात्री गाड़ी की भावी दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों को ही पूर्णतया समाप्त कर देंगे।

अतः आयोग का कार्य भारतीय रेलों पर अब तक हुई यात्री गाड़ियों की गंभीर दुर्घटनाओं के कारणों की मात्र पहचान करना ही नहीं बल्कि सुरक्षात्मक और निवारक उपायों के रूप में रेल प्रशासन को ठोस सुझाव प्रदान करना है ताकि यदि उन्हें कार्यान्वित किया जाए तो यात्री गाड़ियों की भावी दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों को ही समाप्त किया जा सके और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक कर बहुमूल्य जानों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जा सके।

अतः आयोग का विचार है कि भारतीय रेलों पर यात्री गाड़ियों की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से सर्वसंबंधितों और दिलचस्पी रखने वालों अथवा प्रभावित व्यक्तियों से अब तक हुई ऐसी दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में तार्किक दृष्टि से उनके विचार में कौन से सुरक्षात्मक अथवा निवारक उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा।

अतः यह सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि रेलों की ट्रेड यूनियन/फेडरेशनें, रेल अधिकारी एसोसिएशनें रेल भर्ती बोर्ड, सेवानिवृत्ति/वर्तमान अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और

रेलवे बोर्ड के सदस्य, सेवानिवृत्त/वर्तमान रेल महाप्रबन्धक, सेवानिवृत्त/वर्तमान रेल संरक्षा आयुक्त, सेवानिवृत्त/वर्तमान रेल अधिकारी और कर्मचारी, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, रेल विभागाध्यक्ष—(इंजीनियरी, यांत्रिक सिगनल एवं दूर संचार, संरक्षा, यात.यात) और एसोसिएशन, चैम्बर आफ कामर्स और अन्य सामान्य सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने विचार आयोग के पास भेज सके जिसमें न केवल गाड़ियों के आपस में टकराने और गाड़ियों के पटरी से उतरने जैसी यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण शामिल हों बल्कि सुरक्षात्मक और निवारक उपाय जो उनके विचार में इस प्रकार की भावी दुर्घटनाओं के कारणों को समाप्त करने और इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक हैं, के बारे में भी उनके विचार शामिल हों।

नोट :—

चूंकि इस आयोग को भारतीय रेलों पर यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने एवं इस पर रिपोर्ट देने तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से सुरक्षा प्रदान करने एवं इसके निवारक उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए चार महीने का समय दिया गया है। अतः उपयुक्त विवरण एक लिफाफे में आयोग को सचिव रेल दुर्घटनाओं तथा इसके निवारक उपायों पर जांच हेतु न्यायमूर्ति वेंकटचला आयोग, टॉप फ्लोर, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन, बेंगलूर 560023 के पते पर भेजा जाए ताकि यह 15 अप्रैल, 1996 को या इससे पूर्व पहुंच जाए जिससे कि इसकी जांच के दौरान इसका लाभ प्राप्त किए जा सकें।

[सं. 95/सेफ्टी/ए एंड आर/14/2]

एस. सूर्यनारायणन, सचिव, रेलवे बोर्ड

## JUSTICE VENKATACHALA COMMISSION OF INQUIRY ON RAILWAY ACCIDENTS AND REMEDIAL MEASURES

(Appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1996

S.O. 196(E).—Government of India, by its Notification No. 95|E(O) II 1 1 dt. 4-1-1996 published in the Gazette of India of 5th January, 1996 issue, has appointed the above Commission of Inquiry in exercise of its powers under Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 to inquire into Railway Accidents which occurred on 1-6-1995 involving the COLLISION of Train No. 3151 Sealdah-Jammu Tawi Express on the rear portion of BKSC Freight train standing on the Loop line of Kalubathan station in Asansol Division of Eastern Railway and DERAILMENT of Train No. 8448 Hirakhand Express in the Block Section between Barpali and Dungripali Stations in Sambalpur Division of South Eastern Railway with the following—

### TERMS OF REFERENCE

1. make an inquiry into the causes of above said accidents and for that purpose, take such evidence as may be necessary;
2. stae its finding as to causes of the said accidents and as to the person or persons, if any, responsible therefor ; and
3. suggest safeguards against similar accidents in future.

The Commission of Inquiry having given due regard to the said TERMS OF REFERENCE proposes to hold the inquiry thereon in THREE STAGES by affording adequate OPPORTUNITY to all those persons who are concerned and interested in participating in he inquiry and as follows :

### FIRST STAGE INQUIRY

Inquiry to be held by the above Commission of Inquiry into causes of and the person|s responsible for, Railway Accident involving Collision of Train No. 3151 Sealdah-Jammu Tawi Express on rear portion of BKSC Freight train standing on Loop line of Kalubathan station in Asansol Division, Eastern Railway would be a PUBLIC INQUIRY and the same would be held at THE RAILWAY CLUB IN THE DIVISIONAL RAILWAY MANAGER'S OFFICE COMPLEX IN ASANSOL, WEST BENGAL between 10 A.M. to 1 P.M. and 2 P.M. to 5 P.M. on every working day of Central Government commencing from Monday the 8th April, 1996 until its completion.

All the members of the Railway Staff who were responsible for, or something to do with the safe running of Train No. 3151 Sealdah-Jammu Tawi Express through Kalubathan Station are required to take notice that they must be present throughout the said Public Inquiry to give evidence as to the part played or duty performed by each of them upto the time of occurrence of the Collision of Sealdah-Jammu Tawi Express train with BKSC Freight Train standing on Loop line of Kalubathan station at 16.22 hrs (4.22 P.M.) on 1-6-95 or to defend themselves against any evidence which may be adduced during that inquiry, making any of them responsible for that accident.

Any other member of the Railway Staff or any Passenger or any Member of the Public who may be able to give evidence touching any aspect of the said accident or persons responsible for the accident are requested to take notice of the Public Inquiry to be held as above in respect of the said railway accident and give his|her evidence at the said Inquiry, keeping in view the public interest to be served by such evidence.

### SECOND STAGE INQUIRY

Inquiry to be held by the above Commission of Inquiry into causes of and persons responsible for, railway accident involving the Derailment of Train No. 8448 Hirakhand Express in the Block Section

between Barpali and Dungaripali Stations in Sambalpur Division on South Eastern Railway would be a PUBLIC INQUIRY and the same would be held at THE CONFERENCE HALL, DIVISIONAL RAILWAY MANAGER'S OFFICE, SAMBALPUR, ORISSA between 10 A.M. to P.M. and 2 P.M. TO 5 PM. on every working day of Central Government commencing from Monday the 22nd April, 1996 until its completion.

All the members of the Railway Staff who were responsible for or something to do with, the upkeep of the Railway track in the Block Section between Barpali and Dungripali stations and the maintenance of train No. 8448 Harakhand Express in railworthy and safe running condition while it had to run in Block Section between Barpali and Dungripali stations are required to take notice that they must be present throughout he said Public Inquiry to give evidence as to the part played or duty performed by each of them upto the time of occurrence of the Derailment of Train No. 8448 Hirakhand Express in the block section between Barpali and Dungripali stations in Sambalpur Division on South Eastern Railway at 15.30 hrs. (3.30 P.M.) on 1-6-1995 or to defend themselves against any evidence that may be adduced during that inquiry, making any of them responsible for that accident.

Any other member of the Railway staff or any passenger or any member of the Public who may be able to given evidence touching any aspect of the said accident or person/s responsible for the accident are also requested to take notice of the Public Inquiry to be held as above in respect of the said Railway accident and give his/her evidence at the said inquiry, keeping in view the public interest to be served by such evidence.

## THIRD STAGE INQUIRY

The Commission of Inquiry, according to the above terms of reference is required to suggest safeguards against Passenger Train accidents, that is, to suggest remedial measures for preventing passenger trains from future collision accidents and Derailment accidents.

The inquiry to be held by the Commission to suggest safeguards against Passenger train accidents assumes great public importance and significance because of danger to human lives and public property they carry. But SAFEGUARDS to be suggested by the Commission against such future Accidents although are intended to ensure the safety of Railway Passengers, Staff and public property they ought to be of the type or nature which, if provided for by the Railway Administration would in all probability eliminate the main causes for future passenger train accidents.

The Commission's work, therefore, would consist of not merely the identification of causes for serious Passenger Train accidents which have occurred hitherto in the Indian Railways but also making realistic suggestions to Railway Administration as safeguards or remedial measures for their implementation, which if implemented could eliminate the main causes for future Passenger train accidents and save precious human lives and public property by avoidance of recurrence of such accidents.

Hence, the Commission has thought it most appropriate to commence its work, by obtaining from all concerned and interested or agitated over the recurrence of passenger train accidents on Indian Railways, on what hitherto were the main causes for such accidents and the safeguards or remedial measures they have in view or reasonably envisage or contemplate for elimination of such causes of accidents.

This PUBLIC NOTICE, is, therefore, issued to enable the Trade Unions/Federations of Railways, Railway Officers Associations, Railway Recruitment Boards, Retired/Present Chairman, Railway Board and Members of Railway Board, Retired/Present Railway General Managers, Retired/Present Commissioners of Railway Safety, Retired/Present Railway Officers and Staff, Zonal Railway Users Consultative Committee, Divisional Railway Users Consultative Committee, Heads of the Railway Departments—(Engineeirning, Mechanical, Signalling & Telecommunication, Safety and Traffic), Bar Associations, Chambers of Commerce and others, having general public interest in their view to send to the Commission, their statements containing information not only of the causes of passenger train accidents, such as collision accidents and Derailment accident, but also containing suggestions as to safeguards or remedial measures which in their view are available for removal of such causes and avoid recurrence of similar accidents in future.

NOTE : Since the Commission has been given four months time to inquire and report on causes of passenger train accidents in Indian Railways and to suggest safeguards or remedial measures against recurrence of such accidents, the above statements may please be sent to the Commission in an envelope addressed to its Secretary, Justice Venkatachala Commission of Inquiry on Railway Accidents & Remedial Measures, Top Floor, Divisional Railway Manager's Office Building, Bangalore-560023 so as to reach him on or before 15th April, 1996 for the Commission to avail of their benefit in the course of its Inquiry.

[No. 95/Safety (A&R)/14/2]

S. SURYANARAYANAN, Secy.
Railway Board.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996